निगरानी 2297-PBR-15

1322/01-07-15

राजस्व पुनरीक्षण क्र० /२०१५

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (म०प्र०) के समक्ष

नरेन्द्र पिता गोपालजी तिवारी
उम्र ५० वर्ष, धन्धा कृषि
निवासी ग्राम बिसनखेडा, तहसील व
जिला इन्दौर -- प्रार्थी

विरुद्ध

१- निलेश पिता बद्रीलालजी पाटीदार
उम्र ४० वर्ष, धन्धा कृषि
निवासी रिद्धी-सिद्धी नगर, खजराना, इंदौर

२- रामचन्द्र पिता मांगीलाल पाटीदार
उम्र ५५ वर्ष, धन्धा खेती
निवासी ग्राम खजराना, तह० व जिला
इन्दौर -- प्रतिप्रार्थीगण

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण - सीमांकन बाबद

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता -

श्री पंकज यादव, राजस्व निरीक्षक, वृत्त ३, तहसील व जिला इन्दौर व्दारा राजस्व प्रकरण क्र० ६अ-१२/२०१४-१५ में पारित आदेश दिनांक ०१/११/२०१४ व दिनांक १०/११/२०१४ से असन्तुष्ट एवम् दुखित होकर प्रार्थी यह पुनरीक्षण याचिका निम्न तथा अन्य आधारों पर, जानकारी दिनांक से प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में लगा समय मुजरा देते, नियत अवधि में, योग्य मुद्रापत्रों पर सादर प्रस्तुत करता है :--

// निगरानी के आधार //

(१) यह कि विव्दान राजस्व निरीक्षक व्दारा की गई सीमांकन की कार्यवाही विधि-विधान तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के पूर्णत: विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

--२ पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2297–पीबीआर/2015 **जिला इंदौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–01–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । राजस्व निरीक्षक की आदेशिका दिनांक 1–11–2014 एवं 10–11–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 1–11–14 एवं 10–11–14 के विरूद्ध यह निगरानी दिनांक 01–07–15 को लगभग 7 माह से भी अधिक समय के विलम्ब से इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । इसके अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 1–11–2014 से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और दिनांक 10–11–2014 को प्रतिवेदन तैयार किया गया है । प्रकरण में अभी सीमांकन आदेश पारित नहीं हुआ है, अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया अवधि बाह्य एवं प्रिमैच्योर होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	